1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	19037.00 (2)	4036.00 (2)	15001.00	...	...	...	19037.00 (2)	...	...	...
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	17028.31 (16)	16756.62 (16)	271.69	265.90	...	...	16762.41 (16)	67.10	67.12	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	800.00 (1)	800.00 (1)	...	...	...	...	800.00 (1)	2.03	2.03	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	54495.00 (2)	54495.00 (2)	...	45000.00 (1)	...	...	9495.00 (1)	...	...	...
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	253.00 (3)	253.00 (3)	...	253.00 (3)	...	...	...	...	...	...
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	262.00 (1)	262.00 (1)	...	13.00	...	...	249.00 (1)	78.10	...	...
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भेषज विभाग	1117.23 (9)	1102.56 (9)	14.67	...	...	...	1117.23 (9)	81.47	...	...
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	...	...	...	...	...	...	...	2.59	...	...
	जोड़	**92992.54 (34)**	**77705.18 (34)**	**15287.36 (0)**	**45531.90 (4)**	...	...	**47460.64 (30)**	**231.29**	**69.15**	...
2. शेयर पूंजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	...	250.00 (2)	...	...	...	2.50	...	...
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	...	...	...	...	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	13000.00 (2)	13000.00 (2)	...	...	...	...	13000.00 (2)	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	रेल मंत्रालय	800.14	0.05	800.09	...	...	...	800.14	9.60	9.60	...
		(2)	(1)	(1)				(2)			
	संचार मंत्रालय										
	दूरसंचार विभाग	7513.97	7513.97	...	...	...	...	7513.97	29.80	29.80	...
		(4)	(4)					(4)			
	जोड़	**28564.11**	**27764.02**	**800.09**	**250.00**	...	...	**28314.11**	**111.90**	**109.40**	...
		(12)	**(11)**	**(1)**	**(2)**			**(10)**			
3. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋणदाता एजेंसियों, आपूर्तिकर्ताओं, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं, आदि के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की वापसी अदायगी, ऋणों पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभारों, इत्यादि का भुगतान और अथवा सामग्री और उपस्कर की आपूर्तियों हेतु किए गये भुगतान के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	नागर विमानन मंत्रालय	48435.23	40452.70	7982.53	...	...	...	48435.23	1148.68	168.97	...
		(38)	(31)	(7)				(38)			
	कोयला मंत्रालय	723.29	623.30	99.99	56.65	...	...	666.64	5.48	5.48	...
		(3)	(3)					(3)			
	विद्युत मंत्रालय	36689.85	31187.70	5502.15	2110.76	...	...	34579.09	398.82	398.82	...
		(43)	(35)	(8)				(43)			
	वित्त मंत्रालय										
	आर्थिक कार्य विभाग	155574.50	149253.20	6321.30	2082.13	...	...	153492.37	170.26	173.47	...
		(183)	(174)	(9)	(4)			(179)			
	सूक्ष्म, लघु और										
	मध्यम उद्यम मंत्रालय	59.97	51.75	8.22	3.06	...	...	56.91	0.31	0.24	...
		(3)	(3)					(3)			
	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	655.51	655.51	...	51.07	...	...	604.44	1.61	1.61	...
		(1)	(1)					(1)			
	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	7358.91	7018.49	340.42	292.68	...	...	7066.23	79.91	79.91	...
		(13)	(11)	(2)				(13)			
	इस्पात मंत्रालय	399.19	363.34	35.85	...	...	...	399.19	0.99	0.99	...
		(2)	(2)					(2)			
	आवास और शहरी गरीबी										
	उन्मूलन मंत्रालय	426.50	422.62	3.88	72.73	...	...	353.77	3.23	3.23	...
		(2)	(2)					(2)			
	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय										
	वाणिज्य विभाग	0.83	0.83	...	0.83	...	...	...	...	...	...
		(1)	(1)		(1)						
	शहरी विकास मंत्रालय	900.98	789.94	111.04	84.80	...	...	816.18	9.48	9.48	...
		(2)	(2)					(2)			
	विदेश मंत्रालय	59150.12	29900.12	29250.00	1222.12	...	...	57928.00	...	...	...
		(7)	(6)	(1)				(7)			
	जोड़	**310374.88**	**260719.50**	**49655.38**	**5976.83**	...	...	**304398.05**	**1818.77**	**842.20**	...
		(298)	**(271)**	**(27)**	**(5)**			**(293)**			
4. विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियां अथवा दी गई सेवाओं के लिए उनको बैंकों द्वारा जारी ऋण पत्रों या प्राधिकार पत्रों पर विचार करते हुए बैंकों को प्रदान की गई प्रति गारंटियां।		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6.	उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल जोड़	**431931.53 (344)**	**366188.70 (316)**	**65742.83 (28)**	**51758.73 (11)**	...	...	**380172.80 (333)**	**2161.96**	**1020.75**	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणीः

1. उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। दिनांक 31.3.2017 को प्राप्ति बजट 2018-19 में श्रेणी 2 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के समक्ष बकाया राशि के रूप में दर्शाए गए ₹13000 करोड़ के आंकड़ें को नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा के कार्यालय द्वारा मिला लिया गया है और अब इसे उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के समझ दर्शाया गया है।
2. वर्ष 2017-2018 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 13,984.10 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है । वर्ष 2017-18 के दौरान ₹65742.83 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2017-2018 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.39 प्रतिशत है।
3. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए (9 जनवरी, 2019 तक) ₹ 57,749.57 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2018-19 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.31% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
4. गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में तथाउल्लिखित अनुबंध व शर्तों के अध्यधीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगी।